अटल पेंशन योजना अनिश्चितकाल तक विस्तारित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना, जो कि अगस्त 2018 में समाप्त हो गई थी, को अनिश्चितकाल तक बढ़ाने का फैसला लिया है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के अंतर्गत 28 अगस्त, 2018 के बाद खाता खोलने वाले सभी खाताधारकों के लिये दुर्घटना बीमा की राशि 2 लाख रुपए होगी जो कि पहले 1 लाख रुपए की सीमा की दोगुनी हो जाएगी।
- औसत आयु-प्रत्याशा में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने इस योजना के लिये अधिकतम आयु को पाँच वर्ष बढ़ा दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 18 से 60 साल की उम्र के लोग इस योजना में नामांकन कर सकते थे लेकिन अब 18 से 65 वर्ष की उम्र के लोग इसके लिये आवेदन कर सकते हैं।
- योजना की ओवरड्राफ्ट सुविधा को भी 5,000 रुपए से बढाकर 10,000 रुपए तक कर दिया गया है।

पृष्ठभूमि

- असंगठित क्षेत्र में समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को पेंशन अथवा वृद्धावस्था में आय सुरक्षा के दायरे में लाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मई 2015 में 'अटल पेंशन योजना' की शुरूआत की गई थी।
- इसे 'राष्ट्रीय पेंशन स्कीम तंत्र' के माध्यम से 'पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण' (PFRDA) द्वारा प्रशासित किया जाता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/Atal-pension-yojna-indefinitely-extended-scope-broadened